परिषदादेश संख्याः— 8543/एक–01/2014

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांकः 06 मार्च, 2014

विषय :— राजस्व परिषद से पत्राचार के संबंध में।

महोदय,

यह देखने में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा परिषद को प्रेषित किये जाने वाले पत्र सीधे मा0 अध्यक्ष को सम्बोधित किये जा रहे हैं। यहाँ तक कि अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बजट से संबंधित माँगा पत्र सीधे मा0 अध्यक्ष को सम्बोधित किये जा रहे है। इस प्रकार सामान्य पत्र व्यवहार मा0 अध्यक्ष को सम्बोधित किया जाना अनुचित है। सामान्य पत्राचार आवश्यक रूप से आयुक्त एवं सचिव से ही किया जाना चाहिए। मात्र विशेष प्रकरणों सम्बन्धी पत्राचार ही मा0 अध्यक्ष को सम्बोधित किये जाय, जिन्हें उनके संज्ञान में लाया जाना अभीष्ट हो एवं ऐसे पत्राचार अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से ही किये जाय।

कृपया इस परिषदादेश का अनुपालन सभी स्तरों से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी व कुमायूँ मण्डल, नैनीताल को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।